राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)

फोन नः 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmschealth.rajasthan.gov.in

सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल :: edprocurement@gmail.com एवं rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ.02(229)/आरएमएससीएल/प्रोक्यू./ड्रग/NIB 09 / 2017/571 दिनांक : 10.5.18

कार्यालय आदेश

भैषज एंव औषधियों की आपूर्ति एवं दर संविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(229)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-09/2017/898 Dated:31.07.2017 के अन्तर्गत फर्म मैसर्स Naprod Life Sciences pvt ltd, 304,Town Centre, Andheri-Kurla Road, Andheri(E), Mumbai-400059 द्वारा आईटम कोड 534- Imatinib Tablets 400 mg के लिये भी बिड प्रस्तुत की गई थी, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 20.09.2017 को खोली गई ।

फर्म ने कोटेड आईटम्स कोड संख्या 534- Imatinib Tablets 400 mg पैकिंग 10x10 Tablet के लिये दर रू 19.40 + 12% GST कोट की थी लेकिन फर्म M/s Naprod Life Sciences pvt ltd., द्वारा पत्र दिनांक 27.11.2017 द्वारा कोटेड दर गलत होने एवं नही माने जाने हेतु निवेदन किया । यह आईटम क्रय समिति की बैठक दिनांक 05.12.2017 के अनुमोदन उपरांत फर्म को Letter of Acceptance (LOA) दिनांक 11.01.2018 को जारी किया गया है। लेकिन फर्म ने पुनः पत्र दिनांक 16.01.2018 द्वारा पूर्व पत्र का हवाला देते हुये LOA को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है।

फर्म द्वारा आईटम कोड 534 के लिये एग्रीमेंट प्रस्तुत नहीं करने के कारण फर्म को पत्र क्रमांक 165 दिनांक 30.01.2018 एवं पत्र क्रमांक 247 दिनांक 23.02.2018 को नोटिस दिया गया एवं एग्रीमेंट प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में बिड शर्त के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया। पुनः पत्र क्रमांक 362 दिनांक 26.03.2018 द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थिति बाबत लिखा गया परन्तु इस संबंध में न तो कोई जवाब प्राप्त हुआ न ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।

आरएमएससीएल की बोर्ड मीटिंग दिनांक 21.02.2018 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में डिबारिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 में निम्न संशोधन किया गया :– The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited.

If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSME of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years.

अतः बोर्ड मीटिंग की बैठक दिनांक 21.02.2018 में लिये गये निर्णय की पालना एवं डिबारिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 के अनुसार M/s Naprod Life Sciences pvt ltd. को आईटम कोड Imatinib Tablets 400 mg के लिये आरएमएससीएल की निविदाओं में भाग (participate) लेने हेतु यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार

किया जाता है एवं बिड सिक्योरिटी राशि रू 2,00,000/- (अक्षरे राशि रू. दो लाख मात्र) जब्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध ~~निदेशक~~
आरएमएससीएल

क्रमांक : एफ.02(229)/आरएमएससीएल/प्रोक्यू./ड्रग/NIB 09 / 2017/471 दिनांक : 10.4.18

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल.।
7. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेज कर लेख है कि मैसर्स M/s Naprod Life Sciences pvt ltd. द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्योरिटी राशि रू 200000 (D.D No 501723, dated 16.09.2017, ICICI Bank) जो कि इस अनुभाग की अनौ टीप कमांक 1176 दिनांक 25.09.2017 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया है, जिसमें से राशि रू. 2,00,000/- (अक्षरे राशि रू. दो लाख मात्र) जब्त करें।
8. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
9. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल ।
10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Naprod Life Sciences pvt ltd, 304,Town Centre, Andheri-Kurla Road, Andheri(E), Mumbai-400059
11. सहायक महाप्रबंधक, आई.टी., आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि इस आदेश को आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड़ करावें।
12. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल